न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना, जिला श्री गंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनीलकुमार चौहान, (आरएएस)

प्रकरण सं0 74/2025 (जीसीएमएस सं0 2025/484)

1. अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत साकिन 13 केपीडी, जीयावाली, तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर, डायरेक्टर जेबीडब्ल्यू लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, रावला मण्डी, तहसील रावला, जिला श्री गंगानगर।
2. निकिता पत्नी वरूण कुमार जाति खत्री साकिन रावला मण्डी, डायरेक्टर जेबीडब्ल्यू लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, रावला मण्डी, तहसील रावला, जिला श्री गंगानगर राज.।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावला, जिला श्री गंगानगर राज. ।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अनूपगढ़, तहसील अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़ राज.।

–अप्रार्थीगण–

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी
प्रकरण संख्या

निर्णय **दिनांकः– 14.10.2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में एक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी बाबत अनवानी प्रकरण अभिमन्यु सिंह वगैरा बनाम स्टेट ऑफ राज. वगैरा, प्रकरण संख्या 16/2023 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2023 का पुनर्विलोकन किया जाकर पुनः निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट इस आशय का पेश किया था कि तहसील रावला के चक 4 डीओएल के खाता संख्या 107 प. नं. 115/41 मु.नं. 29 के किला नं. 2,3,4,5,6,7,8,9,10 की कुल 1.822 हैक्टेयर अनकमांड एवं इसी चक के खाता संख्या 106 प.नं. 115/41 मु.नं. 29 के किला नं. 11,12,13,14,15 की कुल 1.037 हैक्टेयर भूमि जेबीडब्ल्यू लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, रावला मण्डी के

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण उक्त कम्पनी के डायरेक्टर है। प्रार्थीगण की कम्पनी के नाम से दर्ज उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किला नं. 11, 9–12, 3–8, 4–7, 5 में सहवन से गैर मुमकिन सड़क दर्ज है जबकि मौका पर किला नं. 1–10–11, 2–9, 3 में रावला–खाजुवाला सड़क चल रही है। उक्त रावला खाजुवाला सड़क किला नं. 11, 9–12, 3–8, 4–7, 5 में स्वीकृतशुदा है लेकिन मौका पर जब से सड़क का निर्माण हुआ है, तभी से किला नं. 1–10–11, 2–9, 3 में ही चल रही है। इस प्रकार प्रार्थीगण कम्पनी के नाम से दर्ज उक्त भूमि में किला नं. 11, 9–12, 3–8, 4–7, 5 में गैर मुमकिन सड़क के अंकन को हटाया जाकर मौका पर चालू सड़क किला नं. 1–10–11, 2–9, 3 में सड़क का अंकन किया जाना न्यायोचित है क्योंकि मौका पर सड़क अन्य जगह चालू है इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में किला नं. 11, 9–12, 3–8, 4–7, 5 में गैर मुमकिन सड़क के अंकन को हटाया जाना वा जहां मौका पर सड़क चालू है, की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सड़क के नाम अंकन किया जाना उचित है। प्रार्थीगण ने कम्पनी के नाम से दर्ज उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन सड़क के अंकन को दुरस्त करवाने हेतु अप्रार्थीगण से सम्पर्क किया तो अप्रार्थीगण द्वारा कहा गया कि आप उपरी अदालत से आदेश लेकर आओ तभी दुरस्त करेगें इसलिये प्रार्थीगण द्वारा उक्त गलत अंकन को दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कम्पनी के नाम से दर्ज भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किला नं. 11, 9–12, 3–8, 4–7, 5 में गैर मुमकिन सड़क के अंकन को हटाया जाकर उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने वा मौका पर चालू सड़क किला नं. 1–10–11, 2–9, 3 में राजस्व रिकॉर्ड में सड़क का अंकन किये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार घड़साना द्वारा जरिये राज पैरोकार इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि चक 4 डीओएल का प.नं. 115/41 के किला नं. 2/0.253 हैक्टेयर, 3/0.253 हैक्टेयर, 4/1 की 0.190 हैक्टेयर, 5/1 की 0.051 हैक्टेयर, 6/0.253 हैक्टेयर, 7/2 की 0.177 हैक्टेयर, 8/1 की 0.101 हैक्टेयर, 8/3 की 0.013 हैक्टेयर, 9/2 की 0.215 हैक्टेयर, 10/0.253 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 1.822 हैक्टेयर अनकमांड जेबीडब्ल्यू लॉजिस्टिकस प्रा.लि. रावला मण्डी हिस्सा पूर्ण खातेदार व प.नं. 115/41 के किला नं. 11/1 की 0.114 हैक्टेयर, 12/2 की 0.164 हैक्टेयर, 13 ता 15 की 0.759 हैक्टेयर कुल 1.037 हैक्टेयर अनकमांड जेबीडब्ल्यू लॉजिस्टिकस प्रा.लि. रावला मण्डी हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुताबिक रिकॉर्ड प.नं. 115/41 के किला नं. 4/2 की 0.063 हैक्टेयर, 5/2 की 0.139 हैक्टेयर, 7/1 की 0.076 हैक्टेयर, 8/2 की 0.139 हैक्टेयर, 9/1 की 0.038 हैक्टेयर, 11/2 की 0.139 हैक्टेयर, 12/1 की 0.089 हैक्टेयर कुल 0.683 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन मौका पर उक्त रकबा पर सड़क नहीं बना हुई है। मौके पर उक्त सड़क प.नं. 115/41 के किला नं.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

1 में 0.013 हैक्टेयर, 2 में 0.128 हैक्टेयर, 9 में 0.013 हैक्टेयर, 10 में 0.139 हैक्टेयर, 11 में 0.051 हैक्टेयर कुल 0.344 हैक्टेयर (जरिये दूरभाष सन्देश एईएस सुमित शाह ग्रेफस खाजुवाला से सम्पर्क करने पर उक्त सड़क की चौड़ाई 22.5 मीटर) में चल रही है। मुताबिक रिकॉर्ड व मौके की सड़क में 0.339 हैक्टेयर रकबे का अन्तर है। मौका अनुसार सड़क का अमल दरामद करने पर 0.339 हैक्टेयर रकबा सड़क का शेष रह जाता है। मुताबिक रिकॉर्ड किला नं. 1 की 0.253 हैक्टेयर राजाराम पुत्र भजनलाल हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अनूपगढ़ ने उपस्थित होकर जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि बिन्दू संख्या 1 इस खण्ड से संबंधित नहीं है। मद संख्या 2 में वर्णित भूमि रावला–खाजुवाला सड़क पर स्थित है। इस सड़क का संधारण एवं रखरखाव बीआरओ द्वारा किया जाता है, इस हेतु बीआरओ (मुख्यालय सूरतगढ़) से सम्पर्क किया जाना उचित होगा। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कभी भी उनके कार्यालय में सम्पर्क नहीं किया गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरस्तीकरण का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। दुपरान्त वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार राज की बहस सुनी जाकर माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.07.2023 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए इस आधार पर खारिज फरमा दिया गया कि "प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार बनाया गया है जबकि प्रार्थना पत्र में वर्णित सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की ना होकर बीआरओ ग्रेफस की है जिन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। पैरोकार राज. द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के साथ मौका नक्शा अनुसार मौका पर चल रही रावला–खाजुवाला सड़क रिकॉर्ड में दर्ज स्वीकृत सड़क से अन्यत्र चल रही है। मौका नक्शा अनुसार अन्य काश्तकारों के रकबा में भी यह सड़क स्वीकृत जगह से अन्यत्र चल रही है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में सड़क के नाम दर्ज अंकन सहवन से लिपिकीय भूलवश लिखा जाना प्रतीत नहीं होता है जो 136 एलआर एक्ट की श्रेणी में नहीं आता है" जो कि माननीय न्यायालय के निर्णय में विधि की भूल के कारण एवं तथ्यों की भूल के कारण ऐसा आदेश पारित किया गया जो कि निर्णय का अवलोकन करने से स्पष्ट मालूम होता है इसलिये माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.07.2023 को पुनर्विलोकन निम्न आधारों पर किया जाना न्यायोचित है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार बनाया गया है जबकि प्रार्थना पत्र में वर्णित सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की ना होकर बीआरओ ग्रेफस की है जिन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। इस संबंध में प्रार्थीगण का निवेदन है कि उक्त सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से है। जमाबन्दी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है। सड़क पर मालिकाना हक

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

सार्वजनिक निर्माण विभाग का है एवं अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब का अवलोकन किया जावे तो भी उन्होंने अपने जवाब में वर्णन किया था कि इस सड़क का संधारण एवं रख रखाव बीआरओ द्वारा किया जाता है यानिकि सड़क का रखरखाव बीआरओ द्वारा किया जा रहा है जबकि मालिकाना हक सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से है एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को आवश्यक पक्षकार बनाया गया था जिनका जवाब भी प्रस्तुत हुआ है एवं ना ही राजस्व रिकॉर्ड से सड़क का नाम हटाया जा रहा एवं ना ही मौका से सड़क हटाई जा रही। सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड दुरस्ती का प्रकरण था जिसमें आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया गया है लेकिन माननीय न्यायालय ने विधि की भूल के चलते उपरोक्त आधार पर गलत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का दूसरा आधार यह लिया है कि रावला खाजुवाला रोड़ अन्य काश्तकारों के रकबा में भी यह सड़क स्वीकृत जगह से अन्यत्र चल रही है। इस संबंध में प्रार्थीगण का निवेदन है कि जिन काश्तकारों की भूमि में सड़क मौका पर स्वीकृतशुदा जगह से अन्यत्र चल रही है जो कि काश्तकार अपना राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त करवा सकते है एवं पूर्व में कई काश्तकारों ने अपना राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त भी करवाया है इस संबंध में पूर्व का एक निर्णय भी प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की भूल के चलते प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की पूर्व में कोई सूचना नहीं थी क्योंकि आज से करीबन 1 वर्ष पहले उक्त अनवान पत्रावली पेशी से छूट गई थी जिसे प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा काफी प्रयास किये जाने के बाद भी उक्त पत्रावली पेशी में नहीं निकल पाई। अब प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पुनः उक्त पत्रावली का पता किया तो प्रार्थीगण अधिवक्ता को पता चला कि उक्त प्रकरण में तो दिनांक 26.07.2023 को ही निर्णय पारित हो चुका है। चुंकि प्रार्थीगण सदभाविक है जिनको उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी एवं ना ही प्रार्थीगण के अधिवक्ता को निर्णय को बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब ईल्म के रोज से अन्दर मियाद प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थन पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा अनवानी प्रकरण अभिमन्यु सिंह वगैरा बनाम स्टेट ऑफ राज. वगैरा, प्रकरण संख्या 16/2023 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2023 का पुनर्विलोकन किया जाकर पुनः निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन/परिशीलन किया गया। इस न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 26.07.2023 में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थीगण ने बीआरओ ग्रेफ को आवश्यक पक्षकार नहीं

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

बनाया. जबकि प्रार्थीगण द्वारा पेश राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दुरस्त की जाने वाली सड़क अप्रार्थी संख्या 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से है जो इस प्रकरण में पहले से ही बतौर अप्रार्थी पक्षकार है जिससे स्पष्ट है कि न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश में भूलवंश उक्त मत प्रतिपादित किया गया है एवं अन्य आधार जो लिया गया है कि अन्य काश्तकारों की भूमि में भी सड़क मौके वा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गलत जगह बनी हुई है, इस संबंध में न्यायालय का मत है कि अन्य काश्तकारों द्वारा उक्त दुरस्ती करवाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये उक्त मत भी तथ्यों एवं विधि की भूल के चलते प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकरण में अप्रार्थीगण ने भी जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सड़क मौका पर प्रार्थीगण की भूमि में अलग जगह बनी हुई है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अलग जगह दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि सड़क सहवन से गलत दर्ज हुई है एवं सड़क का राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किये जाने से अप्रार्थीगण को भी कोई नुकसान नहीं होगा एवं भविष्य में होने वाली कानूनी पेचिदगियों से भी बचा जा सकेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है क्योंकि न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2023 में विधि वा तथ्यों की भूल के चलते आदेश पारित किया गया था इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 26.07.2023 को पुनर्विलोकित किया जाकर तहसील रावला के चक 4 डीओएल के खाता संख्या 107 प. नं. 115/41 मु.नं. 29 के किला नं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की कुल 1.822 हैक्टेयर अनकमांड एवं इसी चक के खाता संख्या 106 प.नं. 115/41 मु.नं. 29 के किला नं. 11, 12, 13, 14, 15 की कुल 1.037 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थीगण कम्पनी जेबीडब्ल्यू लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, रावला मण्डी के नाम से दर्ज है, के राजस्व रिकॉर्ड में किला नं. 11, 9–12, 3–8, 4–7, 5 में गैर मुमकिन सड़क के अंकन को हटाया जाकर उक्त भूमि प्रार्थीगण कम्पनी के नाम दर्ज करने वा मौका पर चालू सड़क किला नं. 1–10–11, 2–9, 3 के राजस्व रिकॉर्ड में सड़क का अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रावला को आदेशित किया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार रावला को अलग से पत्र लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनीलकुमार चौहान
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना